

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार, 2017
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 17/17

तारीख रजू— 06/01/2017

जगदीश पुत्र बत्तू जाति गुर्जर निवासी श्योसिंहपुरा तहसील बामनवास।

—अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बामनवास।

— रेस्पोंडेण्टस

निर्णय

दिनांक— 30/06/2017

1. अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बामनवास द्वारा मिसल संख्या 82/16 में पारित निर्णय दिनांक 19/10/2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम नेहरी के खसरा नं० 281 रकबा 0.25 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन बालाजी पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने के कर्ता मानकर अपीलार्थी को सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।
3. वकील अपीलान्त उप० एवं रेस्पोंडेण्टस की और से परोकार सरकार उपस्थित।
4. बहस उभय पक्ष सुनी गयी।
5. विद्वान वकील अपीलार्थी ने दौराने सुनवाई कथन किया कि धारा 91 एल आर एक्ट के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होने के उपरांत ही सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जा सकता है, जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। जिससे अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होता हों एवं अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान करे बिना ही सिविल कारावास के कठोर दण्ड से दण्डित किया है। जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19/10/2016 निरस्त फरमाने फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

6. विद्वान राजकीय परोकार ने दौराने सुनवाई निवेदन किया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व सुनवाई सबूत का अवसर दिया है तथा अतिक्रमी द्वारा वाद आराजीयात पर कब्जा कर अतिक्रमण करने पर ही उक्त निर्णय सुनाया गया है। अतिक्रमी का उक्त वाद आराजीयात पर पश्चावर्ती अतिक्रमण होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अतिक्रमी को सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किया जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19/10/2016 यथावत रखा जावे।
7. विद्वान वकील अपीलार्थी व परोकार राज की सुनवाई सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील मे अंकित तथ्यो व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट का वाद आराजीयात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया गया है। लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व अतिक्रमण संबंधित कोई रिपोर्ट व निर्णय पत्रावली में संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्ट को पूर्व अतिक्रमी माना जा सके।
8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त किया जाता है एवं बेदखली, शास्ति व फसल निलामी का आदेश यथावत रखा जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार मलारना डूंगर को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार मलारना डूंगर स्वयं उक्त वाद आराजीयात का मौका देखकर अपीलार्थी से कब्जा छोड़ने एवं पुनः अतिक्रमण न करने के संबंध में शपथ पत्र प्राप्त करे तथा अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त सिविल कारावास के बिन्दु पर पुनः विधिवत् निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30/06/2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2017 में लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर